(IJTBM) 2012, Vol. No. 2, Issue No. III, Jul-Sep e-ISSN: 2231-6868, p-ISSN: 2454-468X

भारत में आरक्षण –संकल्पना, तर्क और निष्कर्ष

RESERVATION IN INDIA: CONCEPT, LOGIC AND CONCLUSION

डॉ रचना प्रसाद
रीडर, समाजशास्त्र विभाग, विद्यावती मुकुंदलाल महिला महाविद्यालय, गाजियाबाद
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Dr Rachna Prasad
Reader, Dept of Sociology, Vidyavati Mukundlal Women's College, Ghaziabad

IJTBM

आरक्षण क्या है.

आरक्षण का मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों, वर्गों या समूहों के जीवन स्तर के उत्थान के लिए कुछ सीटों को उनके लिए सुरक्षित रखने से है।

भारतीय संदर्भ में आरक्षण

भारतीय कानून में आरक्षण एक सकारात्मक प्रावधान है, जिसके तहत सार्वजनिक इकाइयों, संघ और राज्य के नागरिक सेवाओं, संघ और राज्य के सरकारी विभागों में धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को छोड़कर सभी सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों में कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। साथ ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थान, जो इन सेवाओं और संस्थानों में अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं ,उनके लिए भी । भारत की संसद में प्रतिनिधित्व के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण नीति को बढ़ाया गया है।

आरक्षण के पीछे का तर्क

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, भारत के संविधान ने कुछ समूहों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में सूचीबद्ध किया। संविधान के निर्माताओं का मानना था कि, जाति व्यवस्था के कारण, एससी और एसटी ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित थे और भारतीय समाज में सम्मान और समान अवसर से वंचित थे इसलिए राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में उनका प्रतिनिधित्व जरुरी था।

आरक्षण के समर्थन में तर्क

भारत में आरक्षण एक राजनीतिक आवश्यकता है। हालाँकि आरक्षण योजना शिक्षा की गुणवत्ता को कम करती हैं, लेकिन फिर भी इसके कारण कई लोगों को मदद मिली है। वो आबादी जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं ,और जो कम प्रतिनिधित्व वाले समुदाय हैं ,उनकों दुनिया के अग्रणी उद्योगों में शीर्ष पदों पर बढ़ने में मदद मिली है।

हालाँकि आरक्षण योजनाएँ गुणवत्ता को कम करती हैं, लेकिन उन्हें जो सबसे अधिक हाशिए पर हैं और जो वंचित हैं को सामाजिक न्याय प्रदान करने की आवश्यकता है ,जो उनका मानव अधिकार है, यह आरक्षण ने किया है। समानता के बिना मेरिटोक्रेसी निरर्थक है। इसके लिए पहले सभी लोगों को समान स्तर पर लाना होगा। आरक्षण न केवल अमीर को बेतहाशा अमीर बनने से रोका है बल्कि पिछड़े वर्ग को और अधिक पिछड़ा बनने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है।

आरक्षण के विरोध में तर्क

बौद्धिक लोग इस बात से सहमत हैं कि आरक्षण भारत को आंतरिक रूप से विभाजित कर सकता है क्योंकि यह सामाजिक भेदभाव के अलावा जातीय भेदभाव को बढ़ता भी ही , यह अंतर–जातीय और अंतर–विवाह विवाहों के खिलाफ भी दीवारें बनाता है। बहुसंख्यक

मतदाता नव निर्मित अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव कर रहे हैं।आरक्षण योग्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है। विभिन्न क्षेत्रों में आराम से प्रवेश मानदंडों अर्थात आरक्षण के माध्यम से हम योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के विरोध की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रवेश बाधाओं की छूट को इंजेक्ट करके मेरिटोक्रेसी को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केवल योग्य दलित उम्मीदवार को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आज NIT और IIM जैसे संसथान अपनी योग्यता को बचाये रखने के कारण वैश्विक परिदृश्य में एक उच्च सम्मान रखते हैं। आरक्षण से योग्यता का नुकसान होता है, इसका यह एक उदाहरण है। जाति आधारित आरक्षण संविधान द्वारा परिकल्पित सामाजिक विचार है। यह सामाजिक विकास के गति को कम करके, जाती आधारित व्यवस्था को और भी मजबूत करता आरक्षण संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का एक उपकरण मात्र है।

आरक्षण को सारे बातों को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए, और उसे प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे कि जाति, आर्थिक स्थिति, लिंग, स्कूली शिक्षा आदि। इन विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक न्याय की चिंताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) की एक व्यापक योजना बनाना चहिये ताकि आरक्षण से अधिक लाभ उन्हें मिले ,जिन्हें इसकी जरुरत है। जो इसके दायरे से बाहर उन्हें आरक्षण से बाहर करना होगा। कोटा आवंटित करना एक प्रकार का भेदभाव है जो समानता के अधिकार के विपरीत है।

आरक्षण के समर्थकों में भी बहुत से भ्रम है। हालांकि वे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए संघर्ष करते हैं

और महिलाओं के कोटा के हिस्से के रूप में जाति कोटा स्वीकार नहीं करते हैं,, वे उच्च शिक्षा के कोटा में महिलाओं के लिए विशेष विचार नहीं चाहते हैं। यह इस तथ्य की स्वीकृति है कि समाज में काम पर बहिष्करण और भेदभाव

के कई कारक हैं। आरक्षण की नीति कभी भी व्यापक सामाजिक या राजनीतिक ऑडिट के अधीन नहीं रही है। समूहों को आरक्षण देने से पहले, पूरी नीति की ठीक से जांच करने की आवश्यकता है, और लगभग 60 वर्षों के दौरान इसके लाभों या हानि का अनुमान लगाना होगा। अगड़ी जातियों के गरीब लोगों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं निल रहा है जबकि पिछड़ी जाति के अमीर लोग इसका सामाजिक या आर्थिक लाभ मजे से ले रहे हैं।

डर है कि एक बार पेश किया गया आरक्षण कभी वापस नहीं लिया जाएगा, भले ही राजनीतिक मुद्दों के कारण पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कोई सबूत हो। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में, अगड़ी जातियों को 13 प्रतिशत की जनसंख्या प्रतिशत के मुकाबले स्नातक स्तर पर व्यावसायिक संस्थानों में कुल सीटों का केवल 3प्रतिशत (और ओपन प्रतियोगिता में 9 प्रतिशत) सुरक्षित करने में सक्षम

थे। यह स्पष्ट भेदभाव का मामला है।कई लोग आरक्षण के विचार का समर्थन करते हुए मंडल आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। मंडल कमीशन के अनुसार, 52प्रतिशत भारतीय ओबीसी श्रेणी के हैं, जबकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1999–2000 के अनुसार, यह आंकड़ा केवल 36 प्रतिशत (मुस्लिम ओबीसी को छोड़कर 32 प्रतिशत) है।सरकार की इस नीति से ब्रेन ड्रेन में वृद्धि हुई है और आगे और भी बढ़ सकती है। स्नातक और उच्च शिक्षा वाले और भी उच्च शिक्षा के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में जाना शुरू कर देंगे।

निष्कर्ष

आरक्षण का मुद्दा समाज के आरक्षित और गैर–आरक्षित वर्गों के बीच मतभेद का कारण बना हुआ है। अनारक्षित लोग, प्रावधान का विरोध करते रहते हैं, जबकि आरक्षित क्षेत्रों के भीतर से जरूरतमंद वर्ग शायद ही इस बारे में अवगत होते हैं कि प्रावधान से लाभ कैसे प्राप्त किया जाए या इस तरह के प्रावधान हैं या नहीं। इसके विपरीत, एक ही खंड के बीच के मलाईदार लाभ आरक्षण के नाम पर विशेष विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं और राजनीतिक धड़े उन्हें वोट बैंक के लिए समर्थन दे रहे हैं। आरक्षण निसंदेह बुरा नहीं है, यह दलित और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए उचित और सकारात्मक रूप से भेदभाव दूर करने का एक तरीका है। लेकिन जब यह समाज को नुकसान पहुंचाने लगे और कुछ के लाभ के लिए दूसरों की कीमत पर विशेषाधिकार सुनिश्चित करने लगे जो की वर्तमान में संकीर्ण राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है ,तब आरक्षण की निति को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1. Reservation: Under Article 15 & 16 of the Constitution (2017), available at: *https://www.legalbites.in/law-notes-constitution-reservation/#_ftn2*

2. Reservation-Solution to the Problem, available at: *http://www.legalserviceindia.com/articles/res_pro.htm*.
3. G.S. Ghurye, Caste and Race in India (1968).
4. Deepak Lal, The Hindu Equilibrium, vol. 1, Cultural Stability and Economic Stagnation,Oxford: Clarendon, (1988).
5. V. N. Shukla, Constitution of India 70(10th ed.).

IJTBM